

कार्यालय नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद बागपत।

पत्रांक : 1188 / न0प0अ0 / बागपत / ई-निविदा / 2022-23

दिनांक : 16.06.2022

ई-प्रिक्वोरमेन्ट

एतद्वारा समस्त टेकेदारों/फर्मों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद बागपत द्वारा नगरीय पेयजल योजना के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्य उत्तर प्रदेश की ई-प्रिक्वोरमेन्ट की वेबसाईट <https://etander.up.nic.in> के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण टैंडर प्रपत्र शर्तें आदि उत्तर प्रदेश की ई-प्रिक्वोरमेन्ट की वेबसाईट <https://etander.up.nic.in> से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा अभिलेख एवम् शर्तें वेबसाईट www.npaminagarsarai.com पर भी देखी जा सकती हैं। ई-निविदा की समस्त कार्यवाही उक्त वेबसाईट के माध्यम से ही पूर्ण की जायेगी।

Tender Reference	01/NP/ET/2022-23
Publish Date and time for RFP	18.06.2022 सुबह 10:00 बजे से।
Last Date and time for submission of E-Tender	27.06.2022 दोपहर 02:00 बजे तक।
Date and time of opening tender	27.06.2022 दोपहर 03:00 बजे।
Place of opening of E-Tender	Executive Officer, Office Of Nagar Panchayat Aminagar Sarai, Dist. Baghpat.
E-Tender Security	निविदा हेतु धरोहर राशि 10 प्रतिशत।
E-Tender document processing	As per tender list

उपजिलाधिकारी, बागपत /
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अमीनगर सराय
जनपद बागपत।

अध्यक्ष
नगर पंचायत अमीनगर सराय
जनपद बागपत।

प्रतिलिपि :

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, जनपद बागपत को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. उप जिलाधिकारी महोदय, तहसील बागपत, जनपद बागपत को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक समाचार पत्र, नैशनल प्रेस टाईम्स व दैनिक आज को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने समाचार पत्र में सरकारी दरों पर प्रकाशित करने एवम् 02 प्रतियों में बिल प्रस्तुत कराने का कष्ट करें ताकि भुगतान की कार्यवाही की जा सकें।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद बागपत को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह एक-एक प्रति अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
5. पत्रावली पर चस्पा हेतु।
6. श्री सुखपाल सिंह, चपरासी, कार्यालय नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद बागपत को उक्त सूचना की एक प्रति कार्यालय नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद बागपत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

उपजिलाधिकारी, बागपत /
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अमीनगर सराय
जनपद बागपत।

Office Of The Nagar Panchayat Aminagar Sarai, District Baghpat.

Notice Inviting Tenders for e tendering.

Letter No : 1188/N.P.A./2022-23

Date : 16 -06-2022

The Nagar Panchayat Aminagar Sarai Invites the percentage rate bids through e-tendering system from the eligible and approved Contractors registered with autonomous body/public sector Department/State Government/Central Government of any government department. The Bidder may submit bids for any or all of the works.

Name of work as per table.

Sl. No.	Name of work	Total estimated cost	Bid security (EMD) @ 10%	cost of bid document including GST (if any) in rupees to be deposited in account as mentioned	Period of completion including rainy season
1	3	4	5	6	7
1	Laying road main rising pipe line from naresh's house to meerapur rajwaha.	2487441.00	248744.00	10000.00 + 1800.00 = 11800.00	01 Month
2	The work of Laying the rising pipe line from the pond of umar ilahi to the ward No. 10 via the veterinary hospital.	4429667.00	442966.00	10000.00 + 1800.00 = 11800.00	01 Month

1. Date of availability of bid Documents on website : 18-06-2022
2. Availability of Bid Documents and mode of and mode of submission : The bid documents is available online and should be submitted online in <https://etender.up.nic.in>. The bidder would be required to register itself in <https://etender.up.nic.in> for submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) issued from any one of the authorized Certifying Authorities Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering.
3. Cost of Bid Document : as per column 6 (non-refundable). to be deposited in the account of UP e-tender online Account through e-tender portal by Internet Banking you can also deposit the cost of the documents through RTGS/NEFT/FDR, account detail are follow. Account no. 0512000100482157, IFSC code- PUNB0051200, Punjab National Bank, Branch Aminagar Sarai Baghpat. All concerned please note that the bidding process will not move onward if the Bid Document's Cost (tender fee) is not paid through e-tender portal by Internet banking.
4. Bid Security (EMD) : Bids must be accompanied with bid security of the amount specified for the work in the table as per column 5. Bid security will be deposited in the account of UP e-tender online Account through e-tender portal by Internet Banking you can also deposit the cost of the documents through RTGS/NEFT/FDR, account detail are follow. Account no. 0512000100482157, IFSC code- PUNB0051200, Punjab National Bank, Branch Aminagar Sarai Baghpat. All concerned please note that the bidding process will not move onward if the Bid Security (EMD) is not paid through e-tender portal by Internet banking. No other form of bid security will be accepted.
5. Submission of Original Documents : The bidders are required to submit the following document alongwith bid id generated after bid submission by the bidder.
 - (a) Affidavit regarding correctness of information furnished with bid documents as per-provisions of Clause 3.1 (a) (i) of ITB with the office specified in the Data Sheet,

h.

- (b) Self Attested bid id sheet generated after submission of bid through e-tender portal
As per UP Govt. order No 01/2018/3070/78-2-2018/42IT/2017(22)/03.01.2018 bidder is required to submit these three original documents either by registered post or by hand in the employer office before or after three days of opening of financial bid failing which the resistration of the bidder will be cancelled and also he/she will be black listed.
Original documents must match the scanned copies submitted along with the bids online. In casw. of any discrepancy in this respect. it will be treated as misrepresentation by the bidder. Such bidder shall be liable to be debarred for participating in bids for one years.
Employer Office : Nagar Panchayat Aminagar Sarai.
6. Last Date/Time for receipt of bids through e-procurement : 27-06-2022. up to 12.00 PM
 7. Date of opening of bisd through e-procurement : 27.06.2022 at 03:00 PM in the office of the Nagar Panchayat Aminagar Sarai.
 8. For Further details please log on to <https://etender.up.nic.in>. and down load the bid document.
 9. Time allowed for completion of each work is as mentioned in column no. 07, including rainy season.
 10. The bids shall remain valid for acceptance for a period of 90 (ninety) days form the last date of submission of bids. Bids once submitted can not be withdrawn after the deadline date of submission of bids.
 11. Site of work can also be made available in phases.
 12. Bid must be submitted through e-procurement : on or before dated 27.06.2022 up to 02:00 PM
 13. Each Bidder is required to submit the scanned copy of the following affidavit and documents online and original copy of the time signing of agreement.
 - (a) An affidavit on Format T-6 on a single non-judicial stamp paper of Rs.100.00
 - (b) An affidavit that Bid is valid for 90 days and Bidder has neither criminal record nor registered in any bar council in non-judicial stamp paper of Rs 10.00
 - (c) Self- attested copy of valid T-4 Character certificate issued by DM/Collceter.
 - (d) Self- attested copy of valid T-5 Solvency certificate issued by DM/Collceter.
 - (e) Self- attested copy of valid registration certificate of appropriate class in autonomous body/Public Sector Department/State Government/Central Government of any government department.
 - (f) Authorized address of the bidder : email-id, mobile no, facsimile no, and contact address written on his/her letter pad duly signed.
 14. A bidder shall not be permitted to bid for works in the in the UIB responsible or award and execution of contracts in which his/her/her spouse' s near relatives (defined as first blood relations, and their spouses) is posted as an officer in any capacity between the gareds of Elected member of Nagar Nigam/Nagar Palika/Nagar Panchayat, Muncipal Commissioner, chief Engineer, Executive Engineer, Assistant Engineer, Junior Engineer, accountant and departmental clerk, Exceutive officer/UNA/ANA/KNA etc. Bidder shall also submit an affidavit clearly mentioning the names and designation of relatives working in any capacity in the ULB responsible for award and execution of work.
 15. Any retired Gazette officer (retired within one year) from any state/Central Government is not allowed to work in the contractor establishment without Government permission. This contract is liable to be cancelled if either the Contractor of any of his/her employess is found any time to be such a person who had not obtained the permisiion of the Government as aforesaid before submission of the tender or engagement in the contractor' s service. Same condition will be applicable for the other retired employee of this department.
 16. Bid documents and other details consisting of eligibility criteria of bidders, plans specifications, drawings, the schedule of quantities of the various classes of work to be done the set of terms & conditions of contract to be complied with by the Contractor can be down loaded from the website <https://etender.up.nic.in>.
 17. Any bidder who is punished by any Honorable Court for any criminal activity is not allowed to participate in the bidding process.
 18. Any bidder who is registered with any bar council is not allowed to participate in the bidding process.
 19. Conditional Bid will not be accepted.
 20. Work cannot be sublet to any other contractor.
 21. the Bidder is required to register his/her labour in the labour department within a week from the date of receiving the letter of start of work.

22. Each bidder is required to register his/her rate online in the attached BOQ along with on Section-6 and Form of bid part I and II of Section-5
23. Bidder is required to submit the following affidavit and document at the time of signing of agreement.
 - (a) An affidavit on a single non-judicial stamp paper of Rs.100.00 the bidder must not have in his/her employment:
 - (i) The near relations (defined as first blood relations, and their spouses, of the bidder or the bidder's spouse) of persons listed in the Appendix to ITB.
 - (ii) The near relations (defined as first blood relations, and their spouses, of the bidder of the bidder's spouse) of persons listed in the Appendix to ITB.
 - (iii) Any person without Government permission, who retired as gazette officer within the last one years from any Central or State Government Departments listed in the Appendix to ITB.
 - (iv) He/she will own/arrange the machinery and equipment, as per requirement of work.
 - (v) He/she will not sublet the work to another contractor.
 - (b) Self-attested copy of PAN of firm or contractor.
 - (c) Self-attested copy of GST registration certificate..
 - (d) Self-attested copy of labour registration certificate issued from Labour Deptt.
 - (e) Bid Capacity Calculation Sheet.
24. The GO No 3385/86-2015-292/2015 dated 15-10-2016 issued by UP Mining Department as amended time to time will be enforced for Royalty deductions.
25. The bidder must be satisfied himself before submission of that he/she has sufficient bid capacity to execute the work and he/she has to submit bid capacity calculation sheet at the time of submission of bid.
26. Any circular or instruction issued by National Green Tribunal will be applicable to the contractor.
27. After issue of Notice of Proceed with the Work, the contractor will submit the name of the labours to be employed at the concerned work site registered by labour Department.
28. All notice and letter sent to e-mail given by the bidder and SMS on registered cell phone of the bidder will be presumed that has been received by the bidder.
29. Various Government Order/Directorate Order issued time to time will be enforced.
30. Government Order No. 0-622/23.12-2012/08 TC, Dated 08-06-2012 regarding acceptance of work in percentage bills tender as well as additional security / performance guarantee to save the condition of leaving the work by the contractor / firm in construction works, instructions have been given. Additional security / performance guarantee will be taken at the rate of 0.50 percent for each percent below estimated cost for bids up to 10 percent below the estimated cost of work and the rate of 1 percent of each percent beyond 10 percent below tenders as mentioned in Go.
31. Other details can be seen in the bidding documents. The Employer shall not be held liable for any delays due to system failure beyond his/her control. Even though the system will try to notify the bidders of any bid updates, the employer shall not be liable any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.
32. This RFP is not transferable.
33. A word importing a gender includes any other gender or references to any gender shall include the other and be neutral gender.
34. A Bidder shall not have a conflict of interest ('Conflict of Interest') that affects the Bidding Process. Any Bidder found to have a Conflict of Interest shall be disqualified. In the event of disqualification, the Directorate shall be entitled to forfeit and appropriate the Bid Security or Performance Security as the case may be.
35. Right to reject any or all Bids Notwithstanding anything contained in this bid, the client reserves the right to reject any Bid and to annul the Bidding Process and reject all Bids at any time without any liability or any obligation for such acceptance, rejection or annulment, and without assigning any reasons thereof. In the event that the Client rejects or annuls all the Bids, it may, in its discretion, invite all Eligible Bidders to submit fresh Bids hereunder Any condition or criteria or an other stipulation contained in the Bid shall render the Bid liable to rejection.
36. As per latest CVC guideline Bank guarantee and interest shall be furnished by the contractor for mobilization advance.
37. All necessary approvals and clearances are the obligations of the Bidder.

अन्य नियम व शर्तें निम्न प्रकार है :

1. निविदा प्रपत्र के साथ 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि बैंक एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अमीनगर सराय, बागपत के पदनाम से बन्धक जमा कराना अनिवार्य होगा अथवा धनराशि आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद बागपत के खाता संख्या 0512000100482157 आई0एफ0एस0सी0 PUNB0051200, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा अमीनगर सराय, जनपद बागपत में जमा कर सकते हैं। बैंक में जमा धनराशि की स्लिप की मूल प्रति की स्कैन प्रति टैण्डर के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा अवैध मानी जायेगी व सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कार्य की धरोहर धनराशि व निविदा मूल्य की धनराशि अलग-अलग जमा करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा स्वीकृति के उपरान्त प्रत्येक ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को अंकन 10.00 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जो नोटरी द्वारा सत्यापित हो हलफनामा/वचनपत्र देना होगा तथा 100.00 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निकाय की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध करना होगा।
3. शासनादेश संख्या-24वीआई0पी0(1)/नौ-5-17-120 वजट/2013 दिनांक 24.08.2017 के अनुपालन में ठेकेदार को निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 05 वर्ष तक अनुरक्षण/रखरखाव करना होगा।
4. ठेकेदार के विल से कार्य की कुल लागत की 05 प्रतिशत धनराशि पर फार्मेन्स गारन्टी के रूप में 05 वर्ष रोकने के पश्चात् निर्माण कार्य सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी। निविदा दाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश स0 622/23-12-2012 2 ऑडिट/09टी0सी0-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक निविदा दरे प्राप्त होने पर 0.50 प्रति प्रतिशत दर तथा 10 प्रतिशत से ज्यादा निम्न दरों पर 01.00 प्रति प्रतिशत की दरों में परफॉर्मेंस गारंटी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करने के उपरान्त अनुबन्ध किया जाएगा निविदादाता द्वारा उक्त अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी जमा किए जाने पर निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि को पालिका में जब्त कर लिया जाएगा।
5. समस्त ठेकेदारों/फर्मों के द्वारा शासनादेश संख्या-8/2017/836/23-7-17-176 (सा0)/06 लोक निर्माण विभाग अनुभाग-7 दिनांक 08.06.2017 का अनुपालन किया जायेगा।
6. शासनादेश संख्या 0145/नौ-9-2013 दिनांक 10.12.2013 के द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदारों पंजीयन एवं श्रमिकों के पंजीयन कराये जाने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक निविदा कार्य का पंजीयन ठेकेदार/संस्था को कार्यादेश प्राप्ति पर श्रम विभाग से कराकर नगर पंचायत में जमा करना होगा।
7. नगर पंचायत अमीनगर सराय, बागपत में निर्माण कार्यों को करने के लिए ठेकेदार/फर्म को प्रपत्र एम0एम0-11 जमा कराना अनिवार्य होगा।
8. यदि ठेकेदार/फर्म का पंजीकरण समाप्त हो गया है तो निविदादाता को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता को जी0एस0टी0 व इन्कम टैक्स में पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा पैन/जी0एस0टी0 नम्बर संलग्न करना अनिवार्य है।
10. ठेकेदार/फर्म के पास जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया वैध हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
11. निर्धारित जमानत राशि निविदा के साथ जमा करनी अनिवार्य होगी अन्यथा निविदा निरस्त मानी जायेगी।
12. ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य शुरू करने से पूर्व अधिशासी अधिकारी/अवर अभियन्ता को सूचना देनी अनिवार्य होगी।
13. समस्त निर्माण कार्य गुणवत्ता व उत्तम प्रकार की सामग्री द्वारा ही किया जायेगा।

14. ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित कार्य से संबंधित रेखाचित्र डिजाइन-प्रविष्टियों आदि का भली प्रकार अवलोकन एवं ज्ञान प्राप्त कर लेगा तथा कार्य संबंधित दिये गये निर्देशों का यथावत पालन करेगा।
15. ठेकेदार/फर्म द्वारा निर्माण कार्य अवर अभियन्ता, नगर पंचायत अमीनगर सराय, वागपत की रेखरेख में करना होगा।
16. ठेकेदार/फर्म कार्य को अनुमोदित एवं निर्धारित कोटि के सामग्री सा० नि० विभाग विस्तृत विशिष्टियों आदि के अनुसार नियम अवधि में संतोषजनक रूप से सम्पन्न करेगा।
17. ठेकेदार/फर्म कार्य के दौरान कार्य स्थल पर स्वयं रहेगा या अपने प्रबंधक को कार्य स्थल पर रखेगा जिससे कार्य के संबंध में आवश्यक निर्देश यथा समय उसे दिया जा सके। ठेकेदार/फर्म ऐसे नियुक्त किये प्रबंधक की सूचना नगर पंचायत अमीनगर सराय कार्यालय में लिखित रूप से देगा।
18. कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करने के पश्चात ठेकेदार/फर्म नगर पंचायत कार्यालय को लिखित में सूचना देगा तथा कार्य स्थल से समाप्त मलवा आदि अपने व्यय से स्वयं हटायेगा।
19. ठेकेदार/फर्म कार्य के लिए आवश्यक सभी उपकरण, यंत्र, सीढी, रोड रोलर, पानी, मिक्सर आदि का प्रबंध अपने व्यय से स्वयं करेगा। सुरक्षात्मक व्यवस्था हेतु सूचना पट, लालटेन आदि की व्यवस्था भी स्वयं अपने व्यय से करेगा तथा माप तौल करने हेतु आवश्यक मजदूर की भी स्वयं व्यवस्था करेगा।
20. ठेकेदार/फर्म को कार्य निर्धारित अवधि में समाप्त करना होगा। अकारण अवधि नहीं बढ़ाई जायेगी। ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य नियत अवधि में समाप्त न करने की दशा में नगर पंचायत कार्यालय को अवशेष कार्य के प्रतिशत के बराबर अर्थ दण्ड प्रतिदिन की दर से ठेकेदार/फर्म के विलो या जमानत आदि से प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा ब्लैक लिस्ट करने पर आदि कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।
21. ठेकेदार/फर्म अपरिहार्य परिस्थितिवश अवरोध उत्पन्न होने के कारण नियम अवधि से एक सप्ताह पूर्व लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी से समय बढ़ाने की प्रार्थना कर सकता है, जिसे अधोहस्ताक्षरी उचित प्रतीत होने पर स्वीकार कर लेगा।
22. ठेकेदार/फर्म कार्य में उपयोग हेतु जो भी सामग्री कार्य स्थल पर लायेगा, वह नगर पंचायत कार्यालय की सम्पत्ति समझी जायेगी तथा बिना लिखित स्वीकृति के कार्य स्थल से नहीं हटायी जायेगी तथा जिसे आवश्यकता पडने पर सक्षम अधिकारी के प्रस्तुत किया जायेगा।
23. ठेकेदार/फर्म को कार्य को ढकने अथवा समाप्त करने से पूर्व कम से कम 03 दिन पूर्व अवर अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी को लिखित रूप से माप तौल करने के लिए सूचना देगा, माप तौल करने के बाद ही ढकेगा अथवा समाप्त करेगा यदि उसके ऐसा न करने के कारण कार्य की जांच अथवा माप तौल के लिए कार्य को उखाड़ा गया तो इसमें जो भी व्यय होगा ठेकेदार/फर्म को वहन करना होगा।
24. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि आवश्यकतानुसार कार्य को स्वीकृत प्राक्कलन की मात्रा अथवा संख्या में न्यूनाधिक या मानचित्र में संशोधन कर लें तथा ऐसे न्यूनाधिक या संशोधन के कारण ठेकेदार/फर्म किसी लाभ या हानि का प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार न होगा किन्तु जो सामान ठेकेदार/फर्म द्वारा परिवर्तन की सूचना से पूर्व कार्य स्थल पर एकत्रित कर चुका होगा तथा जिसकी उपरोक्त कारणों से आवश्यकता न रहे तो अधोहस्ताक्षरी द्वारा उसका मूल बाजार भाव पर देकर सामान अपने अधिकार में कर लेगा।
25. अधोहस्ताक्षरी की ओर से जब तक लिखित आदेश न हो तो ठेकेदार/फर्म को स्वीकृत प्राक्कलन प्रारूप एवं रेखाचित्र के अनुसार कार्य करना होगा। प्राक्कथन में वर्णित आईटमों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई आईटम अधोहस्ताक्षरी द्वारा ठेकेदार/फर्म से कराता है तो उसका भुगतान सा०नि० विभाग के शैड्यूल ऑफ रेट (दर अनुसूची) को तत्कालीन दर अथवा तत्कालीन दर अनुसूची




आधारित विश्लेषित (Analy and sedrates) तत्कालीन मार्केट रेट में जो कम होगा पर किया जायेगा।


26. यदि कार्य निर्धारित मानक के स्तर का न हो तो प्रगारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अभियन्ता की संस्तुति के अनुसार रेट कम करके भुगतान कर दे, इसमें ठेकेदार/फर्म को कोई आपत्ति नहीं होगी।
27. यदि कार्य की अवधि में ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य के प्रयोग हेतु निम्न श्रेणी या अनुमोदित मानक से निम्न स्तर की सामग्री कार्य स्थल पर लायी जाती है तो ठेकेदार/फर्म को उसे अवर अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य स्थल से हटानी होगी न हटाने की दशा में सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि वह उक्त सामग्री को स्वयं हटवाकर ठेकेदार/फर्म के दायित्व पर उचित स्थान पर रखवा दे तथा व्यय ठेकेदार/फर्म से वसूल करने का अधिकार होगा।
28. ठेकेदार/फर्म की असावधानी या अकुशल मजदूर अथवा निम्न स्तर की सामग्री के प्रयोग के कारण यदि कार्य में कोई खराबी प्रतीत होती है तो ठेकेदार/फर्म को कार्य खराब होने के सात दिन के अन्दर उसे अपने व्यय से स्वयं ठीक करायेगा यदि ठेकेदार/फर्म उक्त खराबी को ठीक नहीं कराता है तो समक्ष अधिकारी को यह अधिकार होगा कि विभागीय या अन्य किसी एजेन्सी से ठीक करा ले एवं समस्त व्यय ठेकेदार/फर्म के बिलो या जमानत आदि से काट ले।
29. कार्य के चलते रहते निर्माण कार्य का देयक निर्धारित मुद्रित प्रपत्र पर ठेकेदार/फर्म मासिक रूप से सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। तदनुसार अवर अभियन्ता द्वारा विधिवत माप कर, गणना की जांच एवं आवश्यक कटौती आदि करके भुगतान संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
30. सीमेन्ट, तारकोल, ईटे आदि सामान के लिए स्टोर का प्रबंध ठेकेदार/फर्म को नकद/बिल से कटौती के आधार पर अनुमोदित दर से नगर पंचायत कार्यालय के गोदाम पर दिया जायेगा। बचा हुआ शेष सामान सही हालात में वापिस करना होगा ऐसा न करने की दशा में दुगनी कीमत ठेकेदार/फर्म के बिलो या जमानत आदि से काट ली जायेगी।
31. ठेकेदार/फर्म कार्य या कार्य के किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति को समक्ष अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना सबलेट नहीं करेगा।
32. जिस कार्य को सक्षम अधिकारी द्वारा शासकीय अनुदान के अन्तर्गत कराया जायेगा, उसके संबंध में ठेकेदार/फर्म को शासकीय आदेशों का पालन करना होगा।
33. ठेकेदार/फर्म उन समस्त दावों के संबंध में क्षतिपूर्ति देगा, जो किसी व्यक्ति की ओर से चाहे वह कारीगर हो या न हो, हानि पहुँच जाने के कारण किये जायेंगे। नगर पंचायत किन्ही ऐसे दावे/दावों के विरुद्ध श्रमक्षति पूर्ति एक्ट 1923 की धारा (12) की उपधारा (1) के अनुसार या उसके संशोधन के अनुसार किसी न्यायालय में झगड़ने के लिए बाध्य न होगा, जब तक कि ठेकेदार इसके लिए लिखित प्रार्थना पत्र न दे और वांछित धन नगर पंचायत कोष में पहले जमा न कर दे जो नगर पंचायत को अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए यथेष्ट हो।
34. सक्षम अधिकारी को यह भी अधिकार होगा कि ऐसा रूपया जो उपरोक्त या उसके विवेकानुसार क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़े, तो वह ठेकेदार/फर्म को दी जाने वाली धनराशि से जो अनुबंध द्वारा या किसी अन्य हिसाब से ठेकेदार/फर्म की ओर निकलता है, काटकर प्राप्त कर लें।
35. यदि ठेकेदार/फर्म उपरोक्त धाराओं का पालन नहीं करता है तो समक्ष अधिकारी को अनुबंध/निविदा को निरस्त करने तथा इस अपूर्ण कार्य को किसी अन्य एजेन्सी से करा लेने का अधिकार होगा। इस प्रकार एजेन्सी से कार्य कराने में जो व्यय होगा, उसे ठेकेदार/फर्म के बिलो या जमानत राशि से वसूल करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
36. समय-समय पर प्राप्त होने वाले शासनादेशों के अनुपालन में ठेकेदार/फर्म को अपने द्वारा किये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता/रिपेयरिंग करनी अनिवार्य होगी।
37. ठेकेदार/फर्म के द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य/लायी गयी सामग्री के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति/दुर्घटना के लिए नगर पंचायत अमीनगर सराय, बागपत जिम्मेदार नहीं होगी इसके लिए समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की होगी।




38. ठेकेदार/फर्म को द्वारा नगर पंचायत अमीनगर सराय, वागपत द्वारा लागू की गई उपविधि में उल्लिखित शर्तों के अधीन कार्य कराना होगा।
39. यह निविदा सूचना, नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद वागपत की वेबसाइट <http://npaminagarsarai.com> पर भी देखी जा सकती है तथा अन्य सम्बन्धित जानकारी किसी भी कार्य दिवस व समय में अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
40. ई-निविदा के साथ अपलोड किये गये समस्त अभिलेख नगर पंचायत कार्यालय में उसी दिन जमा करने अनिवार्य है।
41. शासनादेश संख्या- 2146/86-2019-52(सा0)/2019 का अनुपालन करना होगा।
42. ठेकेदार/फर्म की न्यूनतम निविदा स्वीकृत होने पर नियमानुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
43. ठेकेदार/फर्म द्वारा निर्माण कार्य हेतु लायी जाने वाली सामग्री ढककर लानी होगी तथा कार्य करते समय कार्य स्थल पर भी सामग्री ढककर रखनी होगी। निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार से वायु प्रदूषण नहीं करना होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की होगी।
44. शासनादेश संख्या- तक0सेल/07/निदे0/2019 दिनांक 28 जून, 2019 का पालन करना अनिवार्य होगा। ठेकेदार जिस श्रेणी के लिए अधिकृत होगा उसी श्रेणी में निविदा डालनी अनिवार्य होगी।
45. निविदादाता को सभी वाञ्छित प्रमाण पत्रों की जिसमें ऑनलाइन निविदा शुल्क धरोहर धनराशि की जमा रसीद 100.00 रुपये के स्टाम्प की मूलप्रति एवं अन्य अभिलेख हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र, लैबर सैंस.रजिस्टर नम्बर, पेन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न गत वर्ष एवं आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि की स्पष्ट व पठनीय स्कैन प्रतियां वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा अपठनीय एवं अस्पष्ट दस्तावेज टेंडर के साथ अपलोड होने पर निविदा निरस्त की दी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार/फर्म का होगा निविदा स्वीकृति समस्त पन्नो, प्रमाण पत्रों एवं अपलोड की मूल प्रति समय से कार्यालय में सीलबन्द लिफाफे के द्वारा जमा करने पर परीक्षण उपरान्त स्वीकृत की जायेगी मात्र पोर्टल पर निविदा स्वीकार किया जाना पर्याप्त नहीं होगा।
46. निविदा डालने हेतु निविदादाता को ई-प्रिक्वोरमेन्ट वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है, निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाईंग प्राधिकरण द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, इसके न होने पर निविदा डालना संभव नहीं होगा।
47. आई0टी0बी0 के क्लाज सं0-44 बी0(सी0) (1) के अनुसार कोई भी निविदादाता जिनका सम्बन्धित अथवा उनकी पत्नी कोई निकट सम्बंधी (प्रथम रक्त सम्बंधी अथवा उनकी पत्नी) खण्डीय लेखा अधिकारी के रूप में कार्यरत हो अथवा अधिशासी अधिकारी स्तर से अवर अभियन्ता स्तर तक (दोनों को सम्मानित करते हुए) कार्यदायी खंड/वृत्त में कार्यरत होगी, वह निविदा डालने के लिए योग्य नहीं होगा निविदादाता द्वारा यह शपथ पत्र भी दिया जायेगा, जिसमें उसके संबंधियों के नाम तथा उनके पद नाम का उल्लेख होगा, जोकि कार्यदायी खंड एवं उससे संबंधित वृत्त में कार्यरत हो।
48. निविदादाता को निविदा के साथ 100.00 रुपये कॉस्ट ऑफ पेपर 01.00 रुपये को रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर युक्त संलग्न करना अनिवार्य है।
49. प्रत्येक निविदादाता को निविदा के मूल्यांकन हेतु 100.00 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर प्रमाण पत्र पर शपथ पत्र ऑनलाइन एवं मूल में देना अनिवार्य है।
50. निविदादाता का प्रत्येक निविदा के लिए सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर (टी-4टी-5) सक्षम अधिकृत हस्ताक्षरी से हस्ताक्षरित कराकर तथा टी-6 आदि मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि फर्म पार्टनरशिप है तो सभी पार्टनर का टी-4, टी-5, तथा टी-6 संलग्न करना अनिवार्य होगा, बिना संलग्न निविदा के अनिवार्य नहीं होगा।
51. किसी भी ई-निविदा को बिना कारण बताएं स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा।




52. निविदा जालने से पूर्य सगस्त नियम व शर्तें भलिभाति जान लें, किसी भी त्रुटि के लिए नगर पंचायत जिम्मेदार नहीं होगी।
53. फर्म/संस्था को आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म/संस्था किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था में पिछले 10 वर्षों में ब्लैक लिस्ट नहीं रही हो।
54. यदि फर्म/संस्था द्वारा संलग्न फर्ई प्रपत्र जांच के दौरान असत्य पाया जाता है, तो सम्बन्धित फर्म/संस्था की धरोहर धनराशि जब्त तथा ब्लैक लिस्टड करते हुए फर्म को विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
55. फर्म को 10.00 रूपये के स्टाम्प पेपर पर सत्यापन देना होगा की निविदा में मांगी गयी कार्य करने की सभी टेक्निकल शर्तों को पूर्ण कर रहा है तथा निविदा अनुसार मांगा गया सामान लगाया जायेगा व एक माह का ट्रायल दिया जायेगा यदि फर्म यह शर्तें पूरा नहीं करती उसकी निविदा को निरस्त मानते हुए द्वितीय न्यूनतम दर वाली फर्म को कार्य करने का अवसर दिया जायेगा, तथा प्रथम निविदा दाता की धरोहर राशि को जब्त करते हुए कार्यवाही की जायेगी। निविदा स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध की कार्यवाही निर्धारित प्रारूप पर कर दी जायेगी।
56. किसी प्रकार की भूलवश टंकणीय/लिपिकीय त्रुटि के संशोधन अथवा अन्य किसी भी परिवर्तन, संशोधन व अतिरिक्त सूचनाओं के लिए उपरोक्त वेबसाईट को निरन्तर देखते रहे।
57. किसी भी वाद-विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र जनपद बागपत होगा।


उपजिलाधिकारी, बागपत/
अधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत अमीनगर सराय
जनपद बागपत।


अध्यक्ष
नगर पंचायत अमीनगर सराय
जनपद बागपत।